राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ20/(1)/13/आ/क्रि/12-13/655 दिनांक 1-11-2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– **माइक्रोस्कोप उत्पाद की नियम विरूद्ध खरीद के संबंध में।**

प्रसंग :– **उप शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(2)शिक्षा–3/2012 पार्ट I दिनांक 02.04.12**

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि निदेशालय की जानकारी में आया है कि कॉलेजों की प्रयोगशाला हेतु प्रयुक्त होने वाले माइक्रोस्कोप अन्य उपकरण राज्य से बाहर की इकाईयों से क्रय किये जा रहे है जो कि नियम विरूद्ध है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की लघु एवं सूक्ष्म इकाईयों के विपणन प्रोत्साहन हेतु नियम 1995 जारी किये हुऐ है। उक्त नियम के तहत प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त/उपयोग होने वाले माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरण केवल राज्य की लघु एवं सूक्ष्म इकाईयों से ही क्रय किया जाना अनिवार्य है। ऐसे उपकरण जो कि C.S.P.O. RATE CONTRACT सूची में सम्मिलित है से भी क्रय किया जाना आवश्यक है।

निदेशालय के ध्यान में आया है कि उपरोक्त नियमों की समस्त जानकारी होते हुऐ भी कुछ कॉलेज नियमों के विरूद्ध जाकर राज्य के बाहर की इकाईयों के डीलरों से माइक्रोस्कोप व अन्य उपकरण क्रय कर रहे है। नियमों की अवहेलना गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसके लिए समस्त क्रय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

इस पत्र द्वारा समस्त क्रय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाले माइक्रोस्कोप व उपकरणों का क्रय केवल राज्य की लघु एवं सूक्ष्म इकाईयों से ही नियमानुसार किया जावें। उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रशन में 'माइक्रोस्कोप' तथा 'उपकरण' लिखा होना अनिवार्य है। निविदा में माइक्रोस्कोप तथा अन्य उपकरणों का ब्रान्ड नहीं लिखा जा सकता। कॉलेजों में प्रयोग होने वाले माइक्रोस्कोप व उपकरणों का स्पेसीफिकेशन C.S.P.O के माप दण्ड अथवा कॉलेजों की आवश्यकतानुसार लिखा जावें। तथा निविदा विज्ञप्ति जारी करते समय उपकरणों "लघु उद्योग" हेतु आरक्षित/ C.S.P.O. RATE CONTRACT अवश्य लिखे।

नोट :–
माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2012–13 में प्रयोगशाला उपकरण क्रय होने है उक्त खरीद के संबंध में उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जावें।

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ20/(1)/13/आ/क्रि/12-13/655 दिनांक 1-11-12

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को वेपसाईट पर डालने हेतु।

संयुक्त निदेशक

E:\desktop\Pushpendar ji/Letters and uonot